79

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

क्रमांक 385 /1532/1(3)/70 भोपाल, दिनांक 29 जुलाई, 1971

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- आकस्मिक अवकाश ।

=x=

उपर्युक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग व्दारा जारी किये गये ज्ञापन क्रमांक 1511-सी0आर0 763/1(3)/58 दिनांक 15 जुलाई, 1959 (जी0 बी0 सी0 भाग 2- अनुक्रमांक 6)की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अराजपत्रित और लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को उनके कार्यालय प्रमुख व्दारा छुट्टी मंजूर किये जाने संबंधी आदेश दिये गये है। शासन के समक्ष इस संबंध में यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना अत्याधिक महत्वपूर्ण कार्य नही है, और कार्यालयाध्यक्ष व्दारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को यह कार्य सौंपा जा सकता है ।

2/ प्रकरण में राज्य शासन ने विचारोपरांत अब यह निर्णय लिया है कि अराजपत्रित और लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृति करने की शक्तियां कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकते है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

28.7.71

(मु0 वि0 गर्दे).
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

=2=